UPBN240008692026

Bail Application/158/2026

न्यायालयःःन्यायिक मजिस्ट्रेट सहसवान, जनपद-बदायूँ।

<u>आदेश</u>

11.03.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1-शिवम शर्मा पुत्र रविन्द्र शर्मा, 2-रवि पुत्र चन्द्रपाल** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र **मुकदमा अपराध संख्या-24/2026, धारा-303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना-मुजरिया, जनपद बदायूँ** में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास तलब किये जाने की याचना की गयी है, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र के आज ही निस्तारण पर बल दिया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अभियुक्तगण को फर्जी घटना दिखाकर झूंठा फसाया गया है तथा अभियुक्तगण से जो बरामदगी दिखायी गयी है। वह झूठी है तथा मौखिक रूप से आज ही जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के सम्यक अवलोकन से पाया जाता है कि अभियुक्तगण पर टैम्पों चोरी करने तथा बरामद होने का आरोप है।

प्रश्नगत मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त से चोरी किया गया टैम्पों बरामद हुआ है। अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, जो अजमानतीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्तगण **1-शिवम शर्मा पुत्र रविन्द्र शर्मा, 2-रवि पुत्र चन्द्रपाल** का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्तगण **1-शिवम शर्मा पुत्र रविन्द्र शर्मा, 2-रवि पुत्र चन्द्रपाल** का जमानत प्रार्थना-पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद बदायूॅ।
J.O.CODE. UP3676

Transcribed on :A.Ali(Steno)